राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 512 : वरुणालय फेज – ।। : करोल बाग नई दिल्ली –110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट
www.delhijalboard.nic.in

कमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1472 / 2015 / 13167 दिनांकः 18 17.12.2015

श्री स्वतन्त्र पाल सिंह,
1681, मेन बाजार,
पहाड़ गंज,
नई दिल्ली–110055.

संयुक्त निदेशक (राजस्व) के0 / के0उ0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री स्वतन्त्र पाल सिंह, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 16–09–2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 17.12.2015 को अपील की सुनवाई की गई । नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्री स्वतन्त्र पाल सिंह, उपस्थित हुए एवं श्रीमती सुषमा गर्ग, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (के0)–।।, तिबिया कॉलेज. जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित हुईं ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 28.07.2015 को अपीलकर्त्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 16–09–2015 को दायर की ।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारीं ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर दे दिया है । सहायक जनसूचना अधिकारी ने बताया कि यह सूचना थर्ड पार्टी से सम्बन्धित थी इसलिए उत्तर प्रदान नहीं किया जा सकता किन्तु अपीलकर्ता ने बताया कि सम्बद्ध मकान का मैं मालिक हूँ और किराएदार ने झूठे प्रमाण के आधार पर पानी का कनैक्शन अपने नाम से ले लिया है । इस सम्बन्ध में उसने मकान के असली कागज भी दिखाए । अतः सहायक जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों की पुनः जांच की जाए और सही उत्तर इस आदेश के पारित होने के सात दिन के अन्दर अपीलकर्ता को प्रदान किया जाए ।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्त्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :–

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी–विंग,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

ह0 / –
निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्री स्वतन्त्र पाल सिंह, 1681, मेन बाजार, पहाड़ गंज, नई दिल्ली–110055.
2. संयुक्त निदेशक (राजस्व) के0 / के0उ0
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (के0)–।।, तिबिया कॉलेज ।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

EXECUTIVE ENGINEER Dy. No. 6645 Date 18/12/15

Nidhi
प्रथम अपीलीय अधिकारी